353

पत्र संख्या-7/आ०नि०-018-10/2003का० 7072 /

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

श्री मुखत्यार सिंह,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,
झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद,
झारखंड, रांची ।

रांची, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003.

विषय :- झारखंड के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र धारक आवेदकों द्वारा दूसरे राज्य से ~~[illegible]~~ प्रमाण-पत्र के मान्यता के संबंध में ।

महोदय,

प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि प्रासंगिक विषय पर विधि विभाग के मंतव्य प्राप्त किया गया ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के नियम-14 के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ केवल वैसे अभ्यर्थियों को दिया जाय जो झारखण्ड राज्य के लिए भारतीय संविधान की अनुसूची (V) एवं (VI) में झारखंड राज्य के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति घोषित किये गये हैं और पिछड़े वर्गों की वैसे जातियों जिनका उल्लेख प्रासंगिक अधिनियम में है । आरक्षण का लाभ तभी दिया जाय जब अभ्यर्थी का जाति-प्रमाण-पत्र झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, जो कम-से-कम अनुमण्डल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होंगे । ~~[illegible]~~ झारखंड राज्य बनने के पूर्व अगर झारखंड क्षेत्र के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो उस समय झारखंड क्षेत्र में पदस्थापित थे, जाति का प्रमाण-पत्र दिया गया हो तो उसको भी मान्यता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव

(95)

-2-

ज्ञापांक-7/आ0नि0-018-10/2003का0 7072 /रांची, दिनांक 30 दिसम्बर, 03.

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/अध्यक्ष,झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषित ।

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-7/आ0नि0-018-10/2003का0 7072 रांची, दिनांक 30 दिसम्बर, 03.

प्रतिलिपि :- सचिव,उद्योग से अनुरोध है कि राज्य के अधीन सभी लोक उपक्रमों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें ।

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।